

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES (GST-POLICY BRANCH) VYAPAR BHAWAN, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 11/2021 - State Tax

Dated: 20. /.o.7/2021

No. F.2(366)/Policy/GST/2021/6/8 -In exercise of the powers conferred by section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) and sub-rule (3) of rule 45 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, hereby extends the time period upto the 31st day of May, 2021, for furnishing the declaration in FORM GST ITC-04, in respect of goods dispatched to a job worker or received from a job worker, during the period from 1st January, 2021 to 31st March, 2021.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 25th day of April, 2021.

(ANKUR GARG) COMMISSIONER (STATE TAX)

Dated: 20/07/2021

No. F.2(366)/Policy/GST/2021/618-626

Copy forwarded for information to:-

- 1. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 2. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 3. The Chief Commissioner, Central Tax, Delhi, Govt. of India, C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi.
- 4. The Secretary to the Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

- 6. All Special/Additional/Joint Commissioners, Department of Trade and Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 7. The Special Commissioners (PR), Department of Trade and Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi to arrange to give wide publicity to this information.
- 8. All Asstt. Commissioners/GSTOs, Department of Trade and Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi, through their Zonal Incharges.
- 9. The President/Secretary, Sales Tax Bar Association (Regd.), Department of Trade and Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 10. Guard File.

11. Website.

(VIVEK MITTAL) ASSISTANT COMMISSIONER (POLICY)



(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार व्यापार एवं कर विभाग (नीति शाखा) व्यापार भवन, आई. पी. इस्टेट: नई दिल्ली—110 002.

अधिसूचना सं. 11/2021-राज्य कर

दिनांक: **३.º** / **०.**७७/ 2021

सं.फा.2(366) / पॉलिसी—जीएसटी / 2021 / 618 = 626 आयुक्त, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 168 और दिल्ली माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 45 के उपनियम (3) के अनुसरण में, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार को पारेषित मालों या किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार से वापस आये मालों के संबंध में, प्ररूप जीएसटी आईटीसी—04 में प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा करने की समय सीमा को एतदद्वारा मई 2021 के 31 वें दिन तक बढ़ाते हैं।

2. यह अधिसूचना अप्रैल, 2021 के 25 वें दिन से प्रवृत हुई मानी जाएगी ।

(अंकुर गर्ग 🎢 आयुक्त, (राज्य कर)

आयुक्त, (राज्य कर)

सं.फा. 2(366) / पॉलिसी-जीएसटी / 2021 / 6 । *8* - 6 2 6

दिनांक: 🚵 / 🧢 🏸 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।

2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग — चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

3. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, भारत सरकार, प्रथम तल, सी.आर. भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली

4. माननीय वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।

5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।

6. सभी विशेष / अतिरिक्त / संयुक्त आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, नई दिल्ली। 7. विशेष आयुक्त (पी.आर.), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, नई दिल्ली को अधिसूचना के

प्रचार के लिए।

8. सभी सहायकआयुक्त/माल एवं सेवा कर अधिकारी, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, नई दिल्ली को अधिसूचना के प्रचार के लिए।

9. प्रेसिडेंट/सचिव, सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन (पंजीकृत), व्यापार भवन, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली।

10. गार्ड फाइल।

11. वेब साईट।

(विवेक मित्तल)

सहायक आयुक्त, (नीति)